भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2048
जिसका उत्तर 14.12.2023को दिया जाना है
केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत धनराशि

2048. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
श्री सी.एन. अन्नादुरईः
श्रीमती मंजुलता मंडलः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
प्रो. अच्युतानंद सामंतः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से धनराशि के आबंटन के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सीआरआईएफ के अंतर्गत एकत्र की गई और व्यय की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सीआरआईएफ के अंतर्गत चल रही सड़क परियोनजाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त राज्य सरकारों की सिफारिशों पर चयनित और आरंभ किए गए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है और इन कार्यों को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ड.) क्या उक्त राज्यों में केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत विकास के लिए नई सड़कों को चिह्नित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार को इन रिपोर्टों की जानकारी है कि सीआरआईएफ का न तो समुचित उपयोग किया गया है और न ही उनके अंतर्गत किए गए कार्य संतोषजनक कार्य कर रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीआरआईएफ से प्राप्त धनराशि का निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपोयग करने और कार्यों को उचित तरीके से प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों जैसे परिवहन (सड़क और पुल, बंदरगाह, शिपयार्ड, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डे, रेलवे, शहरी सार्वजनिक परिवहन), ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना आदि के लिए निर्धारित किया गया है । निधि को सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए के प्रावधान के अनुसार आवंटित किया गया है। सीआरआईएफ के तहत राज्य / संघ राज्य प्रदेश (यूटी) - वार संग्रह और व्यय नहीं रखा गया है । सड़क और अवसंरचना उपकर के संग्रह और सीआरआईएफ से उपयोग का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है: -

राशि रुपये में करोड़						
संख्या	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23)आरई(	2023-24)बीई(
कुल संग्रह	110,847.16	122,424.32	235,780.98	195,986.96	58,200.00	45,110.00
व्यय	62,879.64	90,252.40	182,363.47	251,738.38	208,743.00	64,020.00

सीआरआईएफ निधि का संग्रहण और आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। उपरोक्त में से, सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) को निधि आवंटित किया जाता है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में सीआरआईएफ के तहत आवंटित निधि और किए गए व्यय/जारी किए गए निधि का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	आवंटन	व्यय
राशि करोड़ रुपये में		
2018-19	51,679.24	49,900.58
2019-20	54,538.66	52,809.09
2020-21	69,622.00	69,138.59
2021-22	89,147.22	88,927.53
2022-23	175,706.00	173,824.14
2023- 24 (30.11.(तक 2023	32,970.30	17,956.57

(ग) से (ड.) महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्यों/संघ राज्य प्रदेशों में सीआरआईएफ योजना के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में कार्यान्वयन और स्वीकृत/अंतिम रूप दिए जा रहे राज्य/संघ राज्य प्रदेश सड़क परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है: -

कार्यान्वयन के अंतर्गत			
राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	संख्या	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)
महाराष्ट्र	244	1,432	4,709
ओडिशा	49	790	2,040
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	15	41
तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का कार्यक्रम 2025 उपरोक्त परियोजनाओं को *			

स्वीकृतअंतिम रूप दिया गया/			
राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	संख्या	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रुपये में)
महाराष्ट्र	604	4,361	7,043
ओडिशा	71	1,186	3,349
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	61	43	58

(च) और (छ) सीआरआईएफ योजना के तहत निधि के अनुचित उपयोग की ऐसी कोई रिपोर्ट मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आई है।

सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 की धारा 7ए और 11 के आधार पर, मंत्रालय ने उचित प्रक्रिया के बाद मानदंडों को अंतिम रूप दिया । मानदंड अन्य बातों के साथ-साथ नियमित अंतराल पर राज्य/संघ राज्य प्रदेश स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की परियोजना निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करते है।

*****